राजस्थान सरकार
उद्यान निदेशालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक प.21(33) नि.उ/एनबीएम/दिशा– निर्देश/2014–15/ दिनांकः

1. **मण्डल वन अधिकारी**, बांसवाडा/सिरोही/झालावाड/बारां
2. **उप वन संरक्षक एंव मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वन विकास अभिकरण –** बांसवाडा/ बांरा/डूँगरपुर प्रतापगढ/ सवाइमाधोपुर/ चित्तौडगढ
3. **उपनिदेशक उद्यान** कोटा एंव उदयपुर
4. **सहायक निदेशक उद्यान** भीलवाडा/बांसवाडा/चित्तौडगढ/डूँगरपुर/राजसमन्द/सिरोही/करौली/ स.माधोपुर/उदयपुर/झालावाड/प्रतापगढ
5. **सहायक निदेशक उद्यान–** बांरा

विषयः–समन्वित उद्यानिकी विकास मिशन (MIDH) की उपयोजना राष्ट्रीय बम्बू मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 हेतु दिशा निर्देश एंव लक्ष्य आवंटन बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि समन्वित उद्यानिकी विकास मिशन (MIDH) की उपयोजना राष्ट्रीय बम्बू मिशन अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यक्रमों के दिशा–निर्देश तथा भौतिक एंव वित्तीय लक्ष्य संलग्न कर भिजवाये जा रहे है। आप द्वारा कार्यक्रम के क्रियान्वयन का समयबद्ध कार्यक्रम 15 दिवस (15 जून 2014 तक) में आवश्यक रुप से भिजवाना सुनिश्चित करें। कृपया सामान्य दिशा–निर्देशों के साथ–साथ कार्यक्रम विशेष के दिशा–निर्देशों की पालना करते हुये कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराते हुये प्रगति से निदेशालय को अवगत करावें।
संलग्न–उपरोक्तानुसार।

मिशन निदेशक
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक प.21(33) नि.उ/एनबीएम/दिशानिर्देश/2014–15/ दिनांकः
प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः प्रेषित है

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, उद्यानिकी, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त कृषि, राजस्थान, जयपुर।
3. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) राजस्थान, वन भवन, जयपुर।
4. निजी सहायक, जिला कलेक्टर एवं अध्यक्ष ––––––––––––––––––
5. मुख्य वन संरक्षक (योजना) राजस्थान, वन भवन जयपुर।
6. मुख्य वन संरक्षक, जयपुर/उदयपुर
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् – भीलवाडा/ बांसवाडा/ चित्तौडगढ/डूँगरपुर/ राजसमन्द /सिरोही/ करौली/ स.माधोपुर/ उदयपुर /झालावाड़/ प्रतापगढ/बांरा को प्रेषित कर निवेदन है कि संलग्न दिशा निर्देशों के अनुासार किसी ग्राम पंचायत में बांस वृक्षारोपण से संबन्धित कार्यक्रम लेना चाहते है तो 15 दिवस में प्रस्ताव भिजवाना सुनिश्चित करें।
8. वन संरक्षक, पर्यावरण संरक्षण, कोटा/अरावली वृक्षारोपण परियोजना, उदयपुर/पश्चिमी वृत्त, उदयपुर/टाईगर प्रोजेक्ट, कोटा/भू–संरक्षण, भरतपुर/सामाजिक वानिकी, अजमेर।
9. अतिरिक्त निदेशक उघान,एन एच एम / विस्तार, उघान निदेशालय, जयपुर
10. संयुक्त निदेशक कृषि, कृषि खण्ड, कोटा/भीलवाडा/उदयपुर/भरतपुर/जालौर।
11. संयुक्त निदेशक उद्यान, सी एस एस / विस्तार / मुख्यालय/ नर्सरी/ कीट/ अनुसंघान, उद्यान निदेशालय, जयपुर।
12. संयुक्त निदेशक उद्यान, कोटा एंव उदयपुर
13. उप निदेशक उद्यान, कोटा/उदयपुर/भरतपुर/जोधपुर।
14. उप निदेशक उद्यान, शस्य/एनएचएम/पौध व्याधि/सांख्यिकी/ नर्सरी/उद्यान निदेशालय, जयपुर।
15. वरिष्ठ लेखाधिकारी, उद्यान निदेशालय, जयपुर।
16. आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर।
17. सहायक निदेशक सांख्यिकी, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर।

मिशन निदेशक
राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार
उद्यान निदेशालय, पंत कृषि भवन, जयपुर

क्रमांक प.21(33) नि.उ/एनबीएम/दिशा– निर्देश/2014–15/ दिनांकः

1.उप वन संरक्षक एंव मुख्य कार्यकारी अधिकारी, वन विकास अभिकरण – बांसवाडा/ बांरा/डूँगरपुर प्रतापगढ/ सवाइमाधोपुर/ चित्तौडगढ
2.उपनिदेशक उद्यान – उदयपुर
3. उपनिदेशक कृषि (विस्तार)– जिला परिषद्– डूंगरपुर, सिरोही,करौली एंव राजसमन्द
4.सहायक निदेशक उद्यान– भीलवाडा/बांसवाडा/चित्तौडगढ/डूँगरपुर/राजसमन्द/सिरोही/करौली/ स.माधोपुर/उदयपुर/झालावाड/प्रतापगढ/ बांरा

विषयः–समन्वित उद्यानिकी विकास मिशन की उपयोजना राष्ट्रीय बम्बू मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2014–15 हेतु दिशा–निर्देश एंव लक्ष्य आवंटन बाबत।
प्रसंगः– उद्यान निदेशालय राजस्थान जयपुर के समसंख्यक पत्रांक 202–288 दिनांकः 29.05.2014

उपरोक्त विषयान्तर्गत एंव प्रांसगिक पत्र के द्वारा समन्वित उद्यानिकी विकास मिशन (MIDH) की उपयोजना राष्ट्रीय बम्बू मिशन अन्तर्गत वर्ष 2014–15 में क्रियान्वित किये जाने वाले कार्यक्रमों के दिशा–निर्देश तथा भौतिक एंव वित्तीय लक्ष्य आवंटित कर भिजवाये गये थे। अवर सचिव, भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि एंव सहकारिता विभाग, कृषि भवन नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 44–06/2014–होर्ट (एन बी एम) दिनांक 23.05.2014 के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रुवल (प्रशासनिक अनुमोदन) के माध्यम से अवगत कराया गया है कि वर्ष 2014–15 में राष्ट्रीय बम्बू मिशन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा ट्रेजरी के माध्यम से राज्य को बजट उपलब्ध कराया जायेगा।

आपके जिले को राष्ट्रीय बम्बू मिशन योजनान्तर्गत कम्पोनेन्ट वार भौतिक एंव वित्तीय लक्ष्यों का आवंटन किया गया। अतः इस संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप आवंटित भौतिक एंव वित्तीय लक्ष्यों के विरूद्ध कम से कम अनुसूचित जाति मद में अनुसूचित जाति के कृषकों को 16.2 प्रतिशत, अनुसूचित जन जाति मद में अनुसूचित जन जाति के कृषकों को 8 प्रतिशत तथा समस्त श्रेणी की महिला कृषकों को 30 प्रतिशत आवश्यक रूप से लाभान्वित किया जावे। अतः निर्देशों की पालना शत प्रतिशत सुनिश्चित करें।

अपर निदेशक उद्यान(विस्तार)
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक प.21(33) नि.उ/एनबीएम/दिशानिर्देश/2014–15/ दिनांकः
प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः प्रेषित है
1. संयुक्त निदेशक कृषि, (विस्तार),खण्ड– कोटा/भीलवाडा/उदयपुर/भरतपुर/जालौर।
2. संयुक्त निदेशक उद्यान, कोटा एंव उदयपुर
3. उप निदेशक उद्यान, संभाग कोटा/उदयपुर/भरतपुर/जोधपुर।
4. सहायक निदेशक सांख्यिकी, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर।

अपर निदेशक उद्यान(विस्तार)
राजस्थान, जयपुर

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	*विवरण*	*पृष्ठ संख्या*
1.	राष्ट्रीय बांस मिशन– परिचय	1
2.	सामान्य दिशा–निर्देश	1
3.	सार्वजनिक क्षेत्र में छोटी नर्सरी	**2**
4.	क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम हेतु दिशा–निर्देश	2-4
4.1	गैर वन भूमि	2-4
4.2	निजी कृषक भूमि	2-4
4.3	क्षेत्र का चयन	2-4
4.4	कृषक का चयन	2-4
4.5	कार्यक्रम का आयोजन	2-4
4.6	राजकीय भूमि व वन क्षेत्र	2-4
5	वन एंव गैर वन क्षेत्र में पलांनटेशन हेतु रखरखाव/ संधारण	4
6.	कृषक प्रशिक्षण – दिशा निर्देश –राज्य के बाहर (Outside State) व राज्य के अर्न्तगत (Within State)	5-8
7.	राज्य स्तरीय सेमिनार	8-9
8.	वन एंव गैर वन क्षेत्र में बांस पौधरोपण तकनिकी के प्रर्दशनों का आयोजन	9
9.	कीट एंव पौध व्याधि प्रबंधन	9
10.	डोमेंस्टीक ट्रेड फेयर में सहभागिता	9
	परिशिष्ठ	
1	राष्ट्रीय बांस मिशन– आवेदन प्रपत्र	10
2	बांस पौधों के जीवितता सत्यापन हेतु प्रपत्र	11
3	राष्टीय बांस मिशन –वर्ष 2014–15 हेतु जिलेवार भौतिक एंव वित्तीय लक्ष्य	12-13

समन्वित उद्यानिकी विकास मिशन की उपयोजना –राष्ट्रीय बांस मिशन योजना के दिशा–निर्देश वर्ष 2014–15

1. परिचय

केन्द्रीय प्रवर्तित योजना राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत बांस फसल के सर्वांगीण विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2007–08 से विभिन्न कार्यक्रम क्रियान्वित किये जा रहे है। इसमें क्षेत्र विशेष की कृषि जलवायुवीय स्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए तुलनात्मक रूप से सर्वाधिक उपयुक्त एवं संभावना वाली बांस की प्रजातियों की वर्तमान एवं भविष्य में मांग को देखते हुये सघन रूप में बढावा दिये जाने के प्रयास किये जा रहे है। योजनान्तर्गत बांस प्रजातियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने एवं आनुवांशिक उन्नयन के लिए उच्च प्रौद्योगिकियों को अपनाकर मुख्य रूप से उत्पादन, उत्पादकता व फसल उत्पाद की गुणवत्ता को बढ़ाने तथा फसलोत्तर प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

2. सामान्य निर्देशः

योजना के तहत कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार द्वारा सहायता/अनुदान प्रावधान के अनुसार विभिन्न कार्यक्रमो के क्रियान्वयन दिशा–निर्देश निम्नानुसार है–

1. योजना कार्यक्रमो का क्रियान्वयन जिलेवार राष्ट्रीय बांस मिशन अंतर्गत आंवटित लक्ष्यों के अनुसार किया जावें।

2. योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का क्रियान्वयन सघन क्लस्टर के रूप में किया जावें। इसके लिये कृषको का चयन यथासम्भव समूह के रूप में किया जावें।

3. योजना गतिविधियों व सहायता/अनुदान प्रावधान का कृषकों के बीच व्यापक प्रचार–प्रसार किया जावें।

4. योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के तहत कृषक/ लाभार्थी चयन में आधुनिक हाई–टेक फसल उत्पादन तकनीक एवं ड्रिप संयंत्र पद्वति आदि अपनाने के इच्छुक कृषकों को प्राथमिकता दी जावें।

5. योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में स्थानीय स्तर पर पंचायत राज संस्थाओं को जोड़कर रखा जावें।

6. योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के तहत अनुदान/ सहायता हेतु आवेदन पत्र क्षेत्र के उपनिदेशक कृषि (विस्तार)/ मण्डल वन अधिकारी/ उप वन संरक्षक/ सहायक निदेशक उद्यान / सहायक निदेशक कृषि (विस्तार)/ सहायक वन संरक्षक/ कृषि अधिकारी/ क्षेत्रीय वन अधिकारी/ सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक को प्रस्तुत करने होंगे। (परि. 1 / परि. 2)

7. बॉस के पौधों की जीवितता का भौतिक सत्यापन वन विभाग में क्षेत्रीय वन अधिकारी तथा कृषि/उद्यान विभाग में सहायक कृषि अधिकारी अथवा उनसे ऊपर के अधिकारी से कराया जाये। अनुदान राशि का भुगतान रेखांकित चैक/ड्राफ्ट के द्वारा कृषक/संस्था/लाभार्थी को उसके बैंक खाते में किया जावे। प्राथमिकता ऑनलाइन से जमा कराने को दी जाये।

8. योजनान्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों के तहत स्वीकृत अनुदान राशि के चैक/ड्राफ्ट कार्यालय से जारी होने की दिनांक से अधिकतम सात दिवस में संबंधित कृषक/ संस्था/लाभार्थी को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराने होंगे।

9. योजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में भारत सरकार के निर्देशानुसार 16 प्रतिशत अनुसूचित जाति व 12 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति के कृषकों को लाभान्वित किये जाने की सुनिश्चितता करावें। आवंटित बजट राशि की 30 प्रतिशत राशि महिला लाभार्थियों/ कृषकों के लिये निर्धारित की जावें।

योजना के कार्यक्रम विशेष के विशिष्ट दिशा–निर्देश निम्नानुसार है :–

3. सार्वजनिक क्षेत्र में छोटी नर्सरी :–

सार्वजनिक क्षेत्र में बांस के पौधों की छोटी नर्सरी की स्थापना के लिए 0.5 हैक्टेयर क्षेत्र में गुणवत्तायुक्त प्लान्टिंग मैटेरियल की उपलब्धता हेतु 100 प्रतिशत अथवा अधिकतम 10.00 लाख रूपये प्रति नर्सरी सहायता उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान रखा गया है। नर्सरी में पौध की बढ़वार हेतु इन्फ्रास्ट्रक्चर, सिंचाई की सुविधा, औजार, उपकरण, मशीनरी तथा फैन्सिंग आदि पर सहायता देय है।

4. क्षेत्र विस्तार कार्यक्रम हेतु विस्तृत दिशा–निर्देश

4.1 गैर वन भूमि :–

4.2 निजी कृषक भूमि

4.3– क्षेत्र का चयन :–

1. बांस की खेती जिला स्तर पर गांवों का चयन कर सघन रूप से करवाई जावें।
2. ऐसे क्षेत्र/गांवों का चयन किया जावें जहां कि भूमि एवं सिंचाई का पानी बांस की खेती के लिये उपयुक्त हों तथा जहां पानी का भराव न हो।
3. बांस के विपणन की दृष्टि से आवागमन की सुविधा एवं साधन उपलब्ध हो सकें।
4. जहां व्यावसायिक केन्द्र विकसित होने व परिवहन तथा व्यापार होने में आसानी हो तथा बांस आधारित उद्योग विकसित हो सकें उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जावें।

4.4 – कृषक का चयन :–

1. बूंद बूंद सिंचाई अपनाने के इच्छुक कृषक को कार्यक्रम में सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की जावे।
2. ऐसे कृषकों का चयन किया जावे जो बांस की खेती करने के इच्छुक हों एवं बांस की खेती किये जाने के प्रति विशेष रूप से जागरूक हों।
3. कार्यक्रम में ऐसे कृषकों का चयन करें जिनकी जमीन जंगलों के पास हो या उस क्षेत्र में हों अथवा फलदार पौधों का बगीचा हो।
4. कार्यक्रम में लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषकों को प्रावधानानुसार लाभान्वित किया जावे।
5. कृषक के पास स्वयं का सिंचाई का साधन होना चाहिये। ऐसे कृषकों का चयन किया जावें जो विभाग द्वारा दी जा रही पैकेज पर आधारित बांस वृक्षारोपण कार्य पूर्ण करने को इच्छुक हों।
6. कृषकों का चयन यथा संभव समूह में किया जावे। चयन में पंचायत राज संस्थाओं का सहयोग लिया जावे।

4.5 – कार्यक्रम का आयोजन :–

1. बांस के बगीचों की स्थापना हेतु चयनित कृषकों के बांस के महत्व, अपनाये जाने वाली पूर्ण शष्य क्रियाओं, विक्रय, निर्मित की जाने वाली वस्तुयें, उपयोग आदि की जानकारी हेतु क्षेत्रीय स्तर पर प्रचार–प्रसार किया जावें एवं तकनीकी साहित्य भी आवश्यक रूप से उपलब्ध कराया जावें।

2. बांस बगीचों की स्थापना के तहत सभी आदान (पौधें, खाद, उर्वरक एवं पौध संरक्षण रसायन) विभागीय सिफारिशानुसार ही देय होंगे।
3. पौधारोपण सामग्री की व्यवस्था जिला स्तर पर की जाकर मुख्यालय को सूचित किया जावेगा। यदि पौधों की उपलब्धता नहीं हो तो व्यवस्था निदेशालय स्तर से की जा सकती है। जिला स्तर पर राजहंस नर्सरी, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केन्द्र, वन विभाग व केन्द्रीय संस्थाओं से एवं विभाग के माध्यम से कृषकों के यहां बांस मिशन के अन्तर्गत विकसित की गई नर्सरियों से की जा सकती है, परन्तु निजी क्षेत्र से बांस के लिये विकसित नर्सरियों से पौधों की व्यवस्था किये जाने पर, पौधों पर राजहंस द्वारा पौधे जिन दरों पर उपलब्ध करवाये जावेंगे उन दरों के अनुसार गणना की जावेगी।
4. अनुदान राशि सर्वप्रथम पौधारोपण सामग्री पर ही दी जावे यदि पौधारोपण सामग्री उपलब्ध कराने के पश्चात् अनुदान राशि शेष रहती है तो आदान के पेटे कृषकों को खातें में भुगतान किए जाने वाले चैक/रेखांकित ड्रॉफ्ट या जहां इलेक्ट्रानिक मनी ट्रांसफर सुविधा हो वहां इसके माध्यम से उपलब्ध करवाई जावें। आदान की व्यवस्था कृषक अपने स्तर पर करेंगे, इस हेतु बिल प्रस्तुत करने की बाध्यता नहीं होगी।
5. बांस का बगीचा स्थापित करने वाले कृषकों से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर पौधरोपण पश्चात् सहायक कृषि अधिकारी/कृषि पर्यवेक्षक से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्ति के बाद शेष अनुदान खाते में भुगतान किये जाने वाले चैक online के माध्यम से 15 दिवस में भुगतान करवा दिया जावें।
6. कृषक बगीचों की स्थापना निर्धारित दूरी सुनिश्चित करते हुए मेडों पर भी कर सकता है। जिसमें अनुदान पेटे देय राशि की गणना पौधों की दूरी के अनुसार प्रति हैक्टेयर में रोपित किये जाने वाले पौधों के अनुसार की जावेंगी। कम से कम क्षेत्रफल 0.1 हैक्टेयर एवं अधिकतम 4 हैक्टेयर प्रति लाभार्थी हो सकता है।
7 भारत सरकार द्वारा गैर वन क्षेत्र हेतु बांस की प्लानटेशन हेतु 30000/– रु प्रति हैक्टेयर इकाई लागत निर्धारित की गई है। लाभार्थी को अनुदान लागत का अधिकतम 35 प्रतिशत की दर से तीन किश्तों में तीन वर्षों में क्रमानुसार 5250/– , 2625/– 2625/ (50:25:25) प्रति हैक्टेयर की दर से अनुदान देय होगा। भौतिक सत्यापन उपरान्त प्रथम वर्ष में 5250/– रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से तथा द्वितीय एंव तृतीय वर्षों में 90 प्रतिशत जीवितता सत्यापित होने की स्थिति में 2625/– रुपये प्रति हैक्टेयर की दर से अनुदान देय होगा।
8. बांस के बगीचे की स्थापना में पौधों से पौधों की दूरी 5 X 5 मीटर रखते हुये प्रति हैक्टेयर 400 पौधों का रोपण करावें।
9 बगीचों की स्थापना के समय प्रति ईकाई हेतु निर्धारित पौधों की संख्या में 25 प्रतिशत अधिक पौधे परिवहन एवं रोपण के समय होने वाली संभावित मृत्यु के पेटे दिये जायेंगे।
10 जिन कृषको द्वारा वर्ष 2013–14 तक बांस का पौघरोपण किया गया है, उन कृषको को वर्ष 2014–15 में बांस के पौघों के संघारण हेतु 4000/– रु प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान देय होगा।

4.6 – राजकीय भूमि व वन क्षेत्र

1. ऐसी सार्वजनिक क्षेत्र की खाली पड़ी जमीन जो वन क्षेत्र में नहीं है, जैसे सरकारी विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, चारागृह, सिवाय चक, राजकीय/अर्द्ध राजकीय विभाग, राजकीय उपक्रम, सहकारी संस्थाओं के पास खाली पड़ी जमीन अथवा फार्म आदि पर बांस का वृक्षारोपण किया जा सकता है।
2. बांस का वृक्षारोपण राज्य के लिए चयनित जिलों में ही किया जावेगा।
3. बांस के पौधों का रोपण पंक्ति से पंक्ति व पौधे से पौधे के बीच की दूरी 5 X 5 मीटर रखी जावेगी, जिसमें प्रति हैक्टर 400 पौधे लगाये जावेंगे। रोपण किये जाते समय 25 प्रतिशत पौधे अर्थात् 100 पौधे प्रति हैक्टर की दर से अतिरिक्त प्राप्त किये जावे जो पौधों की मृत्यु हो पर उनके स्थापन पर रोपित किये जा सके। इस तरह प्रति हैक्टर 500 पौधों पर सहायता देय होगी।
4. भारत सरकार द्वारा बांस की इकाई लागत रूपये 42000/– प्रति हैक्टर निर्धारित की गई है,जिस पर शत प्रतिशत तीन वर्षो में तीन किश्तो में 50:25:25 के अनुपात में अनुदान देय

होगा। प्रथम वर्ष में 50 प्रतिशत अर्थात् 21000/–रूपये प्रति हैक्टर अनुदान देय है। तथा दूसरे एंव तीसरे वर्ष में 25–25 प्रतिशत की दर से क्रमश 10500/– 10500/– अनुदान देय होगा।

5. बांसरोपण हेतु न्यूनतम इकाई क्षेत्र 0.5 हैक्टर होगा तथा अधिकतम क्षेत्र 10 हैक्टर हो सकता है। अधिकतम क्षेत्रफल में आवश्यकतानुसार मिशन निदेशक की अनुमति से शिथिलता भी प्रदान की जा सकती है।
6. सिंचाई व्यवस्था की सुनिश्चितता हो, भूमि के चारों तरफ पौधों की सुरक्षा के लिए फैंसिंग हो, उस जगह पर वृक्षारोपण पर सहायता देने को प्राथमिकता दी जावेगी।

<u>वन क्षेत्र</u>

1. ऐसा 50 है. का वन क्षेत्र जो कि बांस वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त हो का चयन करें।
2. स्थानीय स्थिति को देखते हुए क्षेत्र का चयन पूर्व में किये गये क्लोजर को प्राथमिकता देते हुए करें ताकि फैन्सिंग कार्य पर ज्यादा खर्चा न होकर पौधारोपण कार्यों पर ही अधिक प्राथमिकता रहे। इस हेतु वन क्षेत्र में पूर्व मे चयनित/पौध रोपित क्षेत्र में लगते हुये क्षेत्र का ही चयन करें तथा अति आवश्यक होने पर ही उक्त मद में कार्य करें।
3. क्षेत्र में आवश्यकतानुसार वन संवर्द्धन सहायता कार्य (Subsidiary silvicultureal operation) समय–समय पर करें।
4. बांस के पौधों का रोपण करते समय नालों में जहां नमी अधिक मात्रा में रहती है, वहां पर वृक्षारोपण को विशेष प्राथमिकता दी जावे।
5. स्थल की आवश्यकतानुसार समौच्च रेखा पर 400 खड्डे बांसरोपण हेतु 0.45 x 0.45 मीटर आकार के प्रति है. खोदे जावें।
6. अति आवश्यकता होने पर ही समौच्च रेखा पर कन्टूर/स्टैगर्ड ट्रैंच/डाईक्स/ ग्रडोनी/वी. डिच/पौधें के ऊपर बोक्स ट्रैन्च के रूप में बनाये। यदि आवश्यकता नहीं हो तो नहीं बनायें तथा यदि बहुत अधिक आवश्यक हो तो प्रति हैक्टर 100 रनिंग मीटर की अधिकतम सीमा तक बनावें।
7. आवश्यकता होने पर ही नमी संरक्षण के लिए चैकडैम/रिटेनिंग दीवार का निर्माण किया जावें। यदि आवश्यकता नहीं हो तो उक्त कार्य नहीं किया जावे।
8. जिन खड्ड़ों में बांस पौधों का रोपण किया जावें, इनके थांवलों पर किसी भी प्रजाति का बीजारोपण नहीं किया जावें।
9. 400 पौधें प्रति है. बांस प्रजाति के उचित दूरी पर रोपित किये जावें।
10. तृतीय वर्ष में बांस के पौधों में पुनरूत्पादन हेतु मिट्टी चढ़ाने का कार्य किया जावें।
11. गतिविधिवार ईकाई लागत के अनुसार कार्य कराए जावें जो अग्रलिखित अनुसार है।
12. मृदा की उत्पादक स्थिति एवं पौषक तत्वों की उपलब्धता के अनुसार बांस में सिफारिश के अनुरूप आवश्यक होने पर नर्सरी तैयार करने एवं पौधा रोपण में खाद, कीटनाशक रसायनों का उपयोग सुनिश्चित करे जिसमें पौधों में जीवितता प्रतिशत अधिकतम हो सके। आवश्यकता नहीं होने की स्थिति में खाद का प्रयोग नहीं करें परन्तु पौधों को दीमक से बचाने के लिए क्लोरोपाइरी फॉस –20 ईसी कीटनाशी रसायन का उपयोग करें।
13. वृक्षारोपण क्षेत्र में द्वितीय वर्ष एवं तृतीय वर्ष का संधारण कार्य आवश्यकता होने पर मनरेगा से करवाया जावे।

5. **<u>वन एंव गैर वन क्षेत्र में प्लानटेशन हेतु रखरखाव/ संधारण</u>** :वन क्षेत्रों में वर्ष 2013–14 तक बांस के प्लान्टेशन के रखरखाव/ संधारण हेतु 12500/ रु प्रति हेक्टयर एव गैर वन क्षेत्र में बांस के पलांनटेशन के रखरखाव/ संधारण हेतु 4000/– रु प्रति हेक्टयर की दर से अनुदान देय होगा।

6. कृषक प्रशिक्षण :–

6.1 राज्य के बाहर (Outside State) –

6.1.1 सामान्य दिशा निर्देश

1. इस कार्यक्रम का संचालन कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहे विभाग (उद्यान/कृषि/वन) के जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा किया जायेगा।
2. संभागीयों की संख्या एक प्रशिक्षण भ्रमण दल में बस की क्षमता के अनुरूप 50 रखी जावें।
3. **क्षेत्र के सभी वर्ग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषकों को प्रावधानानुसार लाभान्वित किया जावे।**
4. ऐसे प्रगतिशील कृषकों को लाभान्वित कराया जावे जो बांस संबंधी उन्नत तकनीकी को ग्रहण कर उसे लागू करने में विशेष रूचि रखते हों।
5. राज्य के बाहर ऐसे क्षेत्रों का चयन किया जाये जिसकी भौगोलिक एवं जलवायु परिस्थितियां जिले के समकक्ष हो।
6. यह प्रशिक्षण भ्रमण कृषि अधिकारी/सहायक कृषि अधिकारी/ क्षेत्रीय वन अधिकारी के नेतृत्व में ही किया जावें तथा कुछ कार्मिक भी साथ लिये जा सकते हैं।

6.1.2 विशिष्ट दिशा निर्देश :–

1. प्रशिक्षण– भ्रमण संबंधी व्यवस्थायें पूर्व में ही तय की जाये– जैसे प्रस्तावित स्थान विश्राम स्थल खाने–पीने की सुविधा, प्रशिक्षण दिलवाये जाने वाले स्थानों तक पहुंचने के साधन का विशेष ध्यान रखा जावें। संभागीयों को किसी भी प्रकार की अनावश्यक असुविधा नहीं होनी चाहिये। इसके लिये ट्रेवलिंग ऐजेंसी या कार्यक्रम (Tour Programme) का कार्य जिलें के जो भी संस्थाऐं करती हैं, उनसे भी संपर्क स्थापित कर लिया जावे।
2. कृषक प्रशिक्षण भ्रमण के लिये अनुमोदित व्यय सहित प्रस्ताव उद्यान निदेशालय (उद्यान एवं कृषि विभाग हेतु) को एवं मुख्य वन संरक्षक (योजना), राजस्थान, जयपुर (वन विभाग हेतु) भिजवाये जावें एवं स्वीकृति के बाद वास्तविक व्यय के आधार पर समायोजित किया जावे। 50 कृषकों के एक भ्रमण दल के लिये रू. 3.75 लाख का प्रावधान है, लेकिन वास्तविक व्यय स्थान की दूरी एवं विश्राम के दिनों पर निर्भर करेगा।
3. **राज्य के बाहर कृषक प्रशिक्षण भ्रमण :–**
   प्रशिक्षण भ्रमण अवधि–5 दिवस
   एक समूह में संभागियों की संख्या– 50
   50 कृषकों के प्रशिक्षण हेतु निर्धारित राशि रू. 7500/–प्रति की दर से = रू.375000.00

क्र.सं.	मद	राशि
1.	द्वितीय श्रेणी बस/ट्रेन का आने जाने का वास्तविक किराया अथवा रू. 3000/–प्रति कृषक जो भी कम हो।	3000 X 50 = 150000.00
2.	रहने/ठहरने व खाने का 5 दिवस का चार्जेज रू. 500/– प्रति कृषक प्रतिदिन	500 X 5X 50 = 125000.00
3.	तकनीकी साहित्य की प्रिटिंग	10000.00
4.	स्थानीय परिवहन हेतु पेट्रोल, आइल, लुब्रिकेंट	15000.00
5.	प्रशिक्षण किट	40000.00
6.	विविध व्यय	35000.00
	योग	**375000.00**

4. व्यय करते समय मितव्ययता को ध्यान में रखा जावें तथा यदि किसी मद में राशि की बचत होती है तो आवश्यकता होने पर अन्य मद में नियमानुसार व्यय की जा सकती है। इस पॉच दिवसीय प्रशिक्षण भ्रमण में प्रति कृषक 7500/– रू. से अधिक व्यय नहीं किया जावें।
5. राज्य के बाहर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में उच्च उत्पादकता प्राप्त करने के कार्यक्रम, अनुसंधान संस्थानों द्वारा कराये जा रहे अनुसंधान कार्य, गैर सरकारी संस्थानों द्वारा कराये गये प्रमुख कार्य, अधिक उत्पादकता वाले बासरोपण का कटाई पूर्व एवं पश्चात् किये जाने वाले फसल प्रबंधन एवं कल्ला (Shoot) कटाई तथा अन्य राज्यों के संबंधित विभागों, संस्थानों द्वारा किये गये नवाचार कार्यक्रम, फसलोंपरांत प्रबंधन हस्तकला, विपणन, निर्यात से संबंधित जानकारी, अन्य कोई बास की खेती से संबंधित तकनीकी प्रदर्शन, प्रदर्शनियां आदि जो दिखलानी हैं आदि के बारे में पूर्व में ही संपर्क कर लेवें। प्रशिक्षण भ्रमण कार्यक्रम का दैनिक (तारीखवार व मिनट टू मिनट) विवरण पूर्व में ही तैयार कर लिया जावें।
6. प्रत्येक कृषक प्रशिक्षण भ्रमण की कार्यक्रम की अवधि 5 दिवस होगी।
7. प्रशिक्षण उपरांत कृषकवार प्रशिक्षित कृषक द्वारा बांस की खेती, फसलोत्तर प्रबंधन व अन्य प्राप्त की गई जानकारी को अपनाये जाने के बारे में विस्तारपूर्वक विवरण का अभिलेख संधारित करावें तथा इसकी जानकारी से समय–समय पर एवं मांगे जाने पर निदेशालय को अवगत करावें।
8. प्रशिक्षण उपरांत संबंधित जिलाधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम, अनुभवों का विवरण मय अपनी टिप्पणी के उद्यान निदेशालय को आवश्यक रूप से भिजवायेंगे साथ ही प्रति बांस मिशन में चयनित अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी भिजवायें।
9. एक मद में बचत होने पर दूसरे मद में व्यय किया जाता सकता है।

अ–

क्र.सं.	भाग लेने वाले कृषकों का नाम मय पता	जाति	ग्रम	कृषक श्रेणी (अनु. जाति/अनु. जनजाति/सामान्य)	पता	संपर्क नं. (यदि कोई हो तो)

ब–

क्र.सं.	प्रशिक्षण में भ्रमण कराये गये स्थल	स्थलवार प्रशिक्षणों का ब्यौरा

स–

क्र.सं.	मद	व्यय राशि (रू.)	वि.नि.

6.2 कृषक प्रशिक्षण राज्य के अर्न्तगत (Within State) –

1. प्रशिक्षण का आयोजन कार्यक्रम क्रियान्वित कर रहे विभाग (उद्यान/कृषि/वन) के जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा किया जावेगा।
2. प्रशिक्षध में 50 प्रगतिशील कृषक जिनके द्वारा उक्त फसल ली जा रही हो अथवा लेने के इच्छुक हो तथा जिनके पास पानी की सुविधा हो, के साथ–साथ महिलाओं तथा अनु. जाति, अनु. जनजाति के कृषकों को प्रावधानानुसार शामिल किया जावे।

3. कार्यक्रम में लघु, सीमांत, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषकों को प्रावधानानुसार लाभान्वित किया जावे।
4. कार्यक्रम में 3 दिवसीय प्रशिक्षण एवं 2 दिवसीय अंतर जिला भ्रमण उन जिलों में करवाया जावे जहां बांस की खेती हो रही है अथवा बांस संबंधित अनुसंधान केन्द्र स्थित है या परंपरागत रूप में जंगलों में बांस का प्लान्टेशन है या बांस आधारित कुटीर उद्योग, उद्योग, हस्तशिल्प इकाई आदि हो। प्रति कृषक 5 दिवस हेतु 5000/– रू. व्यय किये जाने का प्रावधान है, जिसमें से कृषकों के आने–जाने का रेल/बस का साधारण किराया, ठहरने, चाय–नाश्ता, खान–पान, प्रशिक्षण साहित्य, स्लिप पेड, भ्रमण हेतु बस किराया, पेन, व्याख्याता मानदेय तथा प्रचार प्रसार आदि पर व्यय सम्मिलित है। मदवार व्यय का विवरण दिया जा रहा हैं।
5. प्रशिक्षण का आयोजन, जिले के के.वी.के./कृषि अनु.केन्द्र/वानिकी प्रशिक्षण केन्द्र/उद्यानिकी/कृषि/वन विभाग कार्यालय अथवा जहां पर प्रशिक्षण की आधुनिक सुविधायें उपलब्ध हों, पर करवाया जावे।
6. प्रशिक्षण में बम्बू मिशन अंतर्गत देय सुविधाओं की जानकारी दी जावे।
7. प्रशिक्षण में बांस की खेती, इसका महत्व, घरेलू/औद्योगिक उपयोगिता, फसलोत्तर प्रबंधन भंडारण, मूल्य संवर्धन, हस्तकला, विपणन, निर्यात आदि पर विस्तृत जानकारी (एवं संभव हो तो प्रायोगिक जानकारी) प्रदान की जावे।
8. सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी (उपखण्ड अधिकारी/अन्य किसी जानकारी वाले अधिकारी का व्याख्यान) एवं रोग एवं उनसे बचाव एवं रोकथाम की जानकारी (स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक द्वारा संतुलित आहार एवं फल सब्जियों पर व्याख्यान) पर भी व्याख्यान कराया जावे।
9. प्रगतिशील किसी एक कृषक/बांस से संबंधित उद्यमी/हस्तशिल्पी का संबंधित विषय पर व्याख्यान दिलवाया जावे।
10. पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान, पोष्टिक आहार, रोग एवं उनसे बचाव एवं रोकथाम की जानकारी पर पशुपालन विशेषज्ञ का व्याख्यान करावें।
11. मिट्टी की जांच, फसल चक्र की आवश्यकता, उससे लाभ, भूमि सुधार, जीवाणु/हरी खाद जिसमें सूक्ष्म तत्व, जल प्रबंधन, कीट व्याधि नियंत्रण, उत्पादन तकनीक, फसलोत्तर प्रबंधन एवं बीज उत्पादन ट्राइकोडर्मा, राइजोबियम, एजेटोबेक्टर एवं पी.एस.वी. का प्रयोग आदि पर व्याख्यान दिलवाया जावे।
12. जलपुनर्भरण, जल उपलब्धता एवं उसका समुचित उपयोग, ड्रिप एवं फव्वारा संयंत्रों का महत्व आदि पर व्याख्यान करावें।
13. प्रशिक्षण में भाग लेने वाले कृषकों का नाम, पता, दूरभाष नंबर, संबंधित जिला अधिकारी के कार्यालय में रजिस्टर संधारित करते हुये रखे जावें तथा समय समय पर उनसे दूरभाष पर संपर्क भी किया जावे ताकि उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्र हो सके।
14. प्रशिक्षण उपरांत कृषकवार प्रशिक्षित कृषक द्वारा बांस की खेती, फसलोत्तर प्रबंधन व अन्य प्राप्त की गई जानकारी को अपनाये जाने के बारे में विस्तारपूर्वक विवरण का अभिलेख संधारित करावें तथा इसकी जानकारी से समय–समय पर एवं मांगे जाने पर निदेशालय को अवगत करावें।
15. कार्यक्रम की प्रगति रिपोर्ट निम्न प्रारूप में उद्याान निदेशालय को क्रियान्वित के तुरंत बाद आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जावे।
16. एक मद में बचत होने पर दूसरे मद में व्यय किया जा सकता है।

अ.

क्र. सं.	भाग लेने वाले कृषकों का नाम मय पिता	जाति	ग्रम	कृषक श्रेणी (अनु. जाति/अनु. जनजाति/सामान्य)	पता	संपर्क नं. (यदि कोई हो तो)

ब.

क्र.सं.	कार्यक्रम में भाग लेने वाले विषय विशेषज्ञ का नाम	व्याख्यान का विषय	पता	संपर्क नं.

स. कार्यक्रम में मदवार व्यय का विवरण

क्र.सं.	मद	व्यय राशि (रू.)	वि.नि.

6.2 राज्य में कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम :–

कृषक प्रशिक्षण अवधि – 5 दिवस (3 दिवसीय प्रशिक्षण एवं 2 दिवसीय अंतर जिला भ्रमण)
प्रशिक्षण में भाग लेने वाले कृषकों की संख्या – 50 कृषक
50 कृषकों हेतु प्रशिक्षण के लिये सहायता प्रावधान– 5000/–रू. प्रति कृषक कुल 250000/ रू.

S. No.	Item	Proposed Provision (Rs.)
1.	Boarding and lodging @ Rs. 400/day/head(400X5X50)	100000.00
2.	To and Fro fair of the participants @ Rs. 100/ head 1 day(100X5X50)	25000.00
3.	Training Literature @ Rs. 400/head(400X50)	20000.00
4.	Honorarium to guest lecturers @ Rs. 1000/ Lecture (15 lecturers) (1000X15)	15000.00
5.	Training arrangement, Hall, Projector etc.	20000.00
6.	Field visit-Bus fair/hiring charges	30000.00
7.	Miscellaneous	40000.00
	Total	**250000.00**

नोटः– एक मद में बचत होने पर दूसरे मद में व्यय किया जा सकेगा।

7. राज्य स्तरीय सेमिनार :–

1. सेमिनार का आयोजन राज्य स्तर पर किसी चयनित स्थान पर होगा।
2. सेमिनार की अवधि दो दिवसीय होगी।
3. सेमिनार में कम से कम 100 कृषकों/उद्यमियों/हस्तशिल्पियों/एन.जी.ओ./ विशेषज्ञों की भागीदारी सुनिश्चित की जावेगी जिनका पंजीयन राज्य स्तर पर सेमिनार आयोजन दिवस पर किया जावेगा। चयनित जिलों के आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं महिला कृषकों की प्रावधानानुसार सहभागिता सुनिश्चित की जावेगी।
4. संस्थाओं के अधिकारियों को भी आमंत्रित किया जावे।
5. सेमिनार में राज्य में बम्बू विकास एवं संभावना के संबंध में विषय विशेषज्ञों द्वारा सहज परक विचार विमर्श एवं तकनीकी जानकारी प्रदान करवाई जावे।
6. सेमिनार को रोचक सहभागी व चर्चात्मक बनाने के लिये प्रगतिशील कृषकों, बांस अनुसंधान केन्द्रों द्वारा किये गये कार्यों का विवरण कृषकों, वैज्ञानिकों द्वारा दिलवाया जावे।
7. सेमिनार में भाग लेने वाले कृषकों एवं विशेषज्ञों को भोजन, चाय–नाश्ता एवं आने जाने का किराया तथा साहित्य आदि में निम्नानुसार उप मदवार (कम्पोनेंट वाईज) व्यय किया जाना है।

क्र.सं.	कम्पोनेंट	राशि (रू.में)
1.	100 कृषकों के भोजन एवं चाय नाश्ता की व्यवस्था @ 500 प्रति हेड	100000.00
2.	स्टेशनरी प्रशिक्षण सामग्री पर व्यय @ 400 प्रति हेड	40000.00
3.	प्रशिक्षणार्थियों को देय किराया नियमानुसार	50000.00
4.	विशेषज्ञों को देय मानदेय, आवश्यकतानुसार ठहरने की व्यवस्था	15000.00
5.	विशेषज्ञों को यात्रा भत्ता	20000.00
6.	प्रशिक्षण हेतु प्रिंटिंग ऐजेंडा, प्रासीडींगस साहित्य, बेनर, फोटोग्राफी इत्यादि	25000.00
7.	हाल किराया	20000.00
8.	पी.ओ.एल.	10000.00
9.	विविध व्यय	20000.00
	योग	**300000.00**

नोट :– एक मद में बचत होने पर दूसरे मद में व्यय किया जा सकेगा।

8. वन एंव गैर वन क्षेत्र में बांस पौधरोपण तकनिकी के प्रर्दशनों का आयोजन :– वन क्षेत्र में बांस बांस पौधरोपण तकनिकी के प्रर्दशनों का आयोजन करने हेतु लागत का शत प्रतिशत अधिकतम 50000/–प्रति हेक्टेयर प्रति प्रर्दशन एंव गैर वन क्षेत्र में बांस पौधरोपण तकनिकी के प्रर्दशनों का आयोजन करने हेतु लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 25000/–रुपये प्रति हेक्टेयर प्रति प्रर्दशन वित्तीय सहायता रखा गया है।

9.कीट एंव पौध व्याधि प्रबंधनः– वन एंव गैर वन क्षेत्रों में बांस में कीट व पौध व्याधियों के नियंत्रण हेतु रसायनों की कीमत का 50 प्रतिशत अधिकतम 200रुपये प्रति हेक्टेयर सहायता / अनुदान देय होगा। प्रति कृषक अधिकतम 2 हेक्टेयर तक की सीमा तक अनुदान से लाभान्वित किया जा सकता है।

10.डोमेंस्टीक ट्रेड फेयर में सहभागिताः– भारतीय स्तर पर वर्ष मे एक बार 27 सहभागियो के डोमेंस्टीक ट्रेड फेयर में (घरेलू व्यापार मेला)भाग लेने हेतु 8 लाख रुपये का वित्तिय प्रावधान रखा गया है।

मिशन निदेशक
राजस्थान जयपुर

राष्ट्रीय बांस मिशन आवेदन प्रपत्र **परिशिष्ट–1**

उपनिदेशक कृषि (विस्तार) एवं सदस्य सचिव,
सहायक निदेशक उद्यान एवं सदस्य सचिव,
होर्टीकल्चर डवलपमेंट सोसायटी
जिला .....

आवेदक का फोटो

विषय :– राष्ट्रीय बांस मिशन अन्तर्गत अनुदान/सहायता प्राप्त करने हेतु।

महोद्वय,

मैं बांस विकास हेतु राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत अनुदानित/ सहायता आधारित कार्यक्रम लेना चाहता हूं। विवरण निम्न प्रकार है–

1 कृषक/संस्था/आवेदक का नामः.....दूरभाष/मो.....

2 पिता का नामः .....

3 कृषक श्रेणी (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./सामान्य):.....

4 संस्था का प्रकार, यदि लागू है (सरकारी/पंजीकृत):.....

5 पूर्ण पताः ग्राम.....ग्राम पंचायत.....
तहसील.....जिला.....

6 कार्यक्रम का नाम जो लेना हैः.....

7 आवेदक/कृषक के नाम कुल भूमी (हैक्टर):.....

8 खसरा नम्बर जिसमें कार्यक्रम/गतिविधी लेनी हैः.....

9 कार्यक्रम/गतिविधि का क्षेत्रफल या संख्याः.....

10 सिंचाई का साधनः .....डीजल इंजन/मोटर हॉर्स पावरः.....

11 मिट्टी व पानी की जॉच रिर्पोटः (यदि आवश्यक हो तो):.....

12 बैंक का नाम व खाता संख्या पास बुक के प्रथम पृष्ठ की छाया प्रति संलग्न करे

13 कृषक के बैक खाते का IFS कोड

मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त सूचना सही है । योजना अन्तर्गत उक्त कार्यक्रम की कृषक हिस्सा राशि मैं स्वयं वहन करूंगा व कार्यक्रम/गतिविधि किसी अन्य को हस्तान्तरित या बेचना नहीं करूंगा। मैं यह सत्यापित करता हू की मैने इस कार्यक्रम के लिये किसी अन्य संस्था या योजना से सहायता प्राप्त नही की है ।

दिनांकः

हस्ताक्षर कृषक/संस्था प्रभारी

परिशिष्ट–2

बांस पौधों के जीवितता सत्यापन हेतु प्रपत्र

फसल ..... (पौध रोपण के लिये एक वर्ष बाद माह मई–जून में)

क्र. सं.	नाम कृषक / पिता का नाम	ग्राम	विकास खण्ड	क्षेत्रफल	रोपित पौध संख्या	सत्यापन के दौरान जीवित पौध संख्या	प्रतिशत	सत्यापन दिनांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	योग							

टीप. सत्यापन प्रतिवेदन, ग्रामवार, क्लस्टरवार एवं विकास खण्ड वार तैयार किया जावें

हस्ताक्षर

नाम

पद

Appplication form for subsidy / Assistance under National Bamboo Mission

Deputy Director Agriculture (Extension) and Member Secretary,
Assistant Director, Horticulture and Member Secretary
Horticulture Development Society
District.....

Applicant's Photo

Sub: Subsidy / Assistance under National Bamboo Mission.

Sir,

I wish to avail subsidy / assistance under National Bamboo Mission programme. The details are as under-

1. Name of Farmer/Organization/Institution/Applicant.....
2. Father's Name.....
3. Farmer's Class (SC/ST/OBC).....
4. Organization type if applicable (Government/Registered)
5. Full Address: Gram.....Gram Panchayat.....

   Tehsil.....District.....
6. Name of activity or Programme (on which subsidy sought).....
7. Total allotted land for Farmer/Applicant (in Hectares).....
8. Khasra Number for which Programme/Activity is availed.....
9. Area of Programme/Activity.....
10. Means of Irrigation.....Diesel engine/Motor Horse Power.....
11. Analysis report of Soil and Water (if necessary).....

Declaration

The above information provided by me is true to the best of my knowledge. As per policy, I will use the subsidy myself and will not misuse. I hereby establish that I have not received any subsidy from any organization or scheme associated with this programme.

Date Farmer's Signature/Institution Incharge